



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012024-251408
CG-DL-E-17012024-251408

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2024/पौष 27, 1945

No. 39]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2024/PAUSHA 27, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 45(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- विद्युत नियम, 2005 में, नियम 22 में, उप-नियम (1) के लिए निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:

“(1) व्हीलिंग प्रभार-व्हीलिंग प्रभारों की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:

व्हीलिंग प्रभार = व्हील की गई ऊर्जा के लिए राजस्व की वार्षिक आवश्यकता
वर्ष के दौरान व्हीलिंग ऊर्जा

परंतु यह कि समुचित आयोग उपर्युक्त फॉर्मूले के अनुसार अलग-अलग वोल्टेज स्तरों पर व्हीलिंग प्रभार का निर्धारण अलग से कर सकता है।"

[फा. सं. 23/7/2023-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि.379 (अ), तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि.667 (अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2006 और संख्या सा.का.नि.817 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2020 एवं संख्या सा.का.नि. 911 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2022 और संख्या सा.का.नि. 466 (अ), तारीख 30 जून, 2023 और सा.का.नि. 558(अ), तारीख 26 जुलाई, 2023 और सा.का.नि. 649 (अ), तारीख 1 सितंबर, 2023 और सा.का.नि.36 (अ), तारीख 10 जनवरी, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2024

G.S.R. 45(E).— In exercise of the powers conferred by Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:

- (1) These rules may be called the Electricity (Second Amendment) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Electricity Rules, 2005, in Rule 22, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) **Wheeling charges.**— Wheeling charges shall be computed as per following formula:

$$\text{Wheeling Charge} = \frac{\text{Annual Revenue Requirement towards wheeling}}{\text{Energy wheeled during the year}}$$

Provided that the Appropriate Commission may determine wheeling charges at different voltage levels, separately, in accordance with the above formula.”

[F. No. 23/7/2023-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal Rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 379 (E), dated the 8th June, 2005 and amended *vide* number G.S.R. 667 (E), dated 26th October, 2006 and *vide* number G.S.R. 817 (E), dated 31st December, 2020 and *vide* number G.S.R. 911 (E), dated 29th December, 2022 and *vide* number G.S.R 466 (E), dated the 30th June, 2023 and *vide* G.S.R. 558(E) dated 26th July, 2023 and *vide* G.S.R 649 (E), dated the 1st September, 2023 and *vide* G.S.R 36 (E), dated the 10th January, 2024.